न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 01/19 दायरा दिनांक 21.01.2019

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

नानजी आयु 65 वर्ष पुत्र श्री रामा जाति रेदास (चमार) निवासी ग्राम हतवारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – वादी

बनाम

1. जीतू आयु 30 वर्ष पुत्र हरिओम जाति तेली (राठोर) निवासी ग्राम केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. रमेश आयु 40 वर्ष पुत्र गज्जू जाति तेली (राठोर) निवासी ग्राम केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. मंगी आयु 58 वर्ष पुत्र नामालूम जाति ओझा निवासी ग्राम खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. मुकेश आयु 30 वर्ष पुत्र मंगी जाति ओझा निवासी ग्राम खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 13.08.2024

उपस्थित– वादी की ओर से – श्री प्रकाश चन्द नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 196/523 रकबा 4.00 बीघा किस्म बा.च. ग्राम खिरिया पटवार क्षेत्र पीपलखेडी तहसील शाहाबाद में स्थित है। आज से डेढ वर्ष पूर्व वादी की उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर लिया, तब वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 की बेदखली हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 11.05.2018 को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार केम्प में पेश किया, जिस पर प्रतिवादी कम 1 व 2 को मौके पर बेदखल कर कब्जा वादी को संभला दिया गया था, इसके बाद वादी ने उक्त खेत में टापरी बना ली और वहीं रहने लगा। इसके बाद प्रतिवादी कम 1 व 2 जिनके साथ 3 आदमी और थे वादी के खेत पर आये और वादी के साथ मारपीट की और टापरी में आग लगाकर भग गये, जिसका मुकदमा धारा 341, 323, 436, 427, 34 आई.पी.सी. व एसटी. एससी. एक्ट का विशिष्ट न्यायालय बारां में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रतिवादीगण मिलकर वादी के खाते व कब्जा काश्त की उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं, इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार है, आदि।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से [illegible] पेश कर कथन किया गया कि विवादित भूमि पर वादी का कभी कोई [illegible] रहा है ना ही काश्त की है, कब्जे के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि का मूल नंबर 196 है, इसमें से ख.नं. 196/617 [illegible] भूमि को प्रतिवादी कम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested

13/08/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

रघुनाथ पुत्र मन्नालाल ब्राह्मण से 40 वर्ष पूर्व क्रय कर काबिल काश्त बनाया है, जिसे वादी छीनना चाहता है, वादी की भूमि कहां है, उसे खुद नहीं पता। जिस आपराधिक मुकद्मे का वादी ने जिक्र किया है, उसमें धारा 447 आई.पी.सी. का आरोप नहीं है, जिससे जाहिर है कि जिस जगह को वादी विवादित होना बताता है वह उसके खाते की नहीं है। अतः वाद निरस्त किया जावे। प्रकरण में निम्न तनकीया बनाई गई –

1. आया वादी ख.नं. 196/523 रकबा 4.00 बीघा ग्राम खिरिया का खातेदार काश्तकार है ?

2. आया प्रतिवादी वादी की भूमि पर अवैधानिक रूप से ताकत के बल पर कब्जा करने को आमादा है ?

3. आया वादकारण 13.01.19 को वादी की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ ?

4.आया वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

5.अनुतोष ?

वादी की ओर से पी.डबलू. 1 नानजी तथा पी.डबलू. 2 बुद्वा के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम खिरिया सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, नो डयूज प्रदर्श 4, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 5 को पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई और बाद में अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई की गई। वादी की एकपक्षीय वहस सुनी गई। तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार है –

1–प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 से वादी ख.नं. 196/523 रकबा 4.00 बीघा ग्राम खिरिया का खातेदार काश्तकार साबित है। अतः यह तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

2–वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 5 पेश की है, जिसके अनुसार विवादित भूमि की पेमाइश कर राजस्व केम्प दिनांक 11.05.2018 में वादी को विवादित भूमि पर कब्जा दिया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के साथ मारपीट की खेत में बनी टापरी में आग लगा दी जिसका प्रकरण संख्या 127 दिनांक 13.06.2018 को थाना केलवाडा में वादी द्वारा दर्ज कराया गया है, इस घटना का प्रकाशन समाचारपत्र में भी हुआ है, जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। इससे साबित है कि प्रतिवादीगण वादी की विवादित भूमि पर अवैधानिक रूप से ताकत के बल पर कब्जा करने को आमादा हैं। अतः यह तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

3–वादी ने अपने वाद में कथन किया है कि 13.01.19 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर आकर वादी को धमक[illegible] इस कथन का कोई खंडन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया अतः यह तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested

13/08/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

4–उपरोक्त विश्लेषण अनुसार पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि प्रतिवादीगण वादी की विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी प्रतिवादीगण को राजस्व केम्प में विवादित भूमि पर कब्जा दिलाया गया है, इसके बावजूद प्रतिवादीगण वादी अनुसूचित जाति को नाजायज परेशान कर रहे हैं, यहां तक कि प्रतिवादीगण ने वादी के साथ मारपीट कर वादी की टापरी में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। इस कारण वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैध अधिकारी पाया जाता है। अतः यह तनकी भी वादी के हक में तय की जाती है।

अनुतोष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की विवादित भूमि खसरा संख्या 196/523 रकबा 4.00 बीघा ग्राम खिरिया तहसील शाहावाद के बावत वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13/08/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner